बिहार सरकार

उद्योग विभाग

(उद्योग निदेशालय)

आदेश

विषय: उद्योग निदेशालय बिहार सरकार अंतर्गत "इन्वेस्ट बिहार" निवेश संवर्धन (आई०पी०)कोषांग के गठन के संबंध में।

राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने तथा निवेश संवर्धन के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बिहार सरकार द्वारा उद्योग विभाग के अंतर्गत एक समर्पित "इन्वेस्ट बिहार" आई०पी० कोषांग का गठन किया जाता है।

यह कोषांग उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन एवं निवेश सुविधा इकाई के नोडल के रूप में तथा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) एवं संबंधित सभी विभागों के साथ समन्वय से कार्य करेगा।

1. कार्यादेश (Mandate)

- बिहार राज्य में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना
- औद्योगिक नीतियों के निर्माण, संशोधन एवं क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना
- निवेश गंतव्य के रूप में बिहार का ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार
- निवेशक सम्मेलन, रोडशो एवं वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करना
- बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का समन्वय
- निवेश संबंधी पुस्तिकाएं, ब्रोशर एवं प्रेजेंटेशन सामग्री तैयार करना
- केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना

2. कोषांग का स्वरूप

आई०पी० कोषांग में कोर टीम के रूप में सामान्यतः पाँच सहायक उद्योग निदेशक/परियोजना प्रबंधक एवं परामर्शी होंगे। इनकी सहायता हेतु दो-तीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उद्योग विस्तार पदाधिकारी/अर्थ अन्वेषक, एक निम्नवर्गीय लिपिक, दो डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा एक कार्यालय परिचारी उपलब्ध रहेंगे। सहायक उद्योग निदेशक/परियोजना प्रबंधक, सभी परामर्शी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उद्योग विस्तार पदाधिकारी/अर्थ अन्वेषक, निम्नवर्गीय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचारी नियमित रूप से इंदिरा भवन स्थित इन्वेस्ट ऑफिस के कार्यालय में बैठेंगे। इस कोषांग का नेतृत्व एवं संचालन उद्योग निदेशक द्वारा किया जाएगा। साथ ही, BIADA की आई०पी० टीम, SIPB टीम, बिहार फाउंडेशन टीम, BIADA मीडिया टीम तथा सूचना एवं जन-संपर्क विभाग (IPRD) के सहायक निदेशक साप्ताहिक अथवा आवश्यकता अनुसार अपनी बैठक करेंगे।

3. कार्यालय सामग्री :-

आई०पी० कोषांग में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए एक -एक लैपटॉप एवं कार्यालय के लिए तीन कम्प्यूटर यू०पी०एस० एवं प्रिन्टर (B&W and Colour) सहित उपलब्ध कराया जायेगा। इस कोषांग हेतु सामग्रीयों की आपूर्ति उद्योग निदेशालय द्वारा की जायेगी।

4. भूमिका एवं उत्तरदायित्व

	पदनाम	उत्तरदायित्व
1	उद्योग निदेशक – निवेश संवर्धन (कोषांग प्रमुख)	• ``इन्वेस्ट बिहार`` का समग्र नेतृत्व करना तथा उसके कार्यदिश (Mandate) का संरक्षक होना • निवेशक सहभागिता रणनीतियों एवं आउटरीच योजनाओं की स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण • अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) तथा DPIIT के साथ रणनीतिक समन्वय स्थापित करना ,नीति टिप्पणियों, कैबिनेट इनपुट्स एवं वरिष्ठ स्तरीय संक्षेपों का अंतिम परीक्षण एवं अनुमोदन • आंतरिक साप्ताहिक समीक्षा बैठकों तथा BIADA के साथ समन्वय बैठकों की अध्यक्षता करना • उच्च स्तरीय निवेशक बैठकों में इन्वेस्ट बिहार का प्रतिनिधित्व करना

		• प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करना, जिसमें BIADA की आई०पी० टीम, SIPB टीम, बिहार फाउंडेशन टीम, BIADA मीडिया टीम तथा सूचना एवं जन-संपर्क विभाग (IPRD) के सहायक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य होगी
2	सहायक उद्योग निदेशक	• इन्वेस्ट बिहार से संबंधित सभी शासकीय फाइलों की आवाजाही एवं कार्यालयीय टिप्पणियों (नोटिंग) का निष्पादन • इन्वेस्ट बिहार की ओर से पत्रों, बैठक कार्यवृत्त (Minutes) तथा अनुमोदनों का निर्गमन • संबंधित लाईन विभागों (पर्यावरण, ऊर्जा/विद्युत, राजस्व आदि) के साथ अनुवर्ती कार्रवाई • अभिलेखों, अनुपालन रजिस्टरों (Compliance Logs) एवं डैशबोर्ड का संधारण • बैठकों एवं अनुमोदनों हेतु प्रशासनिक समन्वय • कैबिनेट एवं विभागाध्यक्ष (HoD) स्तर के प्रस्तुतीकरण/प्रस्तावों में सहयोग • निवेशक सुविधा से संबंधित प्रकरणों का अभिरुचि (Intent) से अनुमोदन तक पर्यवेक्षण • वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का समन्वय • प्रतिबद्ध एवं संभावित निवेशों की निवेश पाइपलाइन का समग्र अवलोकन बनाए रखना • राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) में प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन एवं परीक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रस्तावित निवेश वास्तविक, व्यवहार्य, नियमों के अनुरूप हों तथा राज्य की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों के अनुरूप समंजित हों। • SIPB, BIADA मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समर्पित एवं नियमित समन्वय • भूमि आवंटन पाइपलाइन एवं क्षेत्र-वार तैयारियों की साप्ताहिक संयुक्त समीक्षा • अवसंरचना उपलब्धता का मानचित्रण (औद्योगिक क्षेत्र, उपयोगिताएं आदि) • निवेशकों के स्थल भ्रमण (Site Visits) एवं भूमि निरीक्षण से संबंधित समन्वय • निवेश प्रस्तावों को प्रभावित करने वाली अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान एवं प्रतिवेदन • निवेशक शिकायत निवारण तंत्र का पर्यवेक्षण- निवेशकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तथा निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन (Investment Realisation) की निगरानी हेतु निवेशक आफ्टर-केयर (Investor After-care) रणनीति तैयार करना। • रोड शो एवं प्रमुख (Signature) कार्यक्रमों में सहभागिता करना तथा सरकार की ओर से प्रस्तुतीकरण देना • सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों एवं अन्य उपयुक्त प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री के माध्यम से मूल्यवर्धन (Value Creation) सुनिश्चित करना • SIPB एवं BIADA निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ के साथ संयुक्त रिपोर्टिंग
3	परामर्शी	• परामर्शकों से संबंधित कार्यधाराओं (Workstreams) का दैनिक परिचालनात्मक प्रबंधन

- रणनीति, विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना
- निवेशक लक्ष्य निर्धारण रणनीति का निर्माण (क्षेत्र-वार एवं भौगोलिक-वार)
- मासिक एवं त्रैमासिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (Performance Reports) का निर्माण
- ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करना तथा संस्थागत प्रलेखन (Institutional Documentation) का संधारण

I. <u>ज्ञान सृजन एवं प्रबंधन: विभिन्न विपणन साधनों, प्रचार-प्रसार सामग्री (Marketing Tools, Collaterals) तथा पब्लिसिटी से संबंधित सामग्री का अभिकल्पन, विकास एवं निर्माण</u>

- ज्ञान-आधारित सामग्री उपलब्ध कराना तथा राज्य के लिए विभिन्न विपणन कोलेट्रल एवं सामग्री का अभिकल्पन, विकास एवं निर्माण, जिनमें राज्य पिच प्रस्तुतिकरण, सेक्टर प्रोफाइल, क्षेत्रीय प्रोफाइल, बिहार प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोफाइल, बिहार के लिए निवेशक मार्गदर्शिका (Investor Guide), परियोजना प्रोफाइल, औद्योगिक गलियारे, प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों की प्रोफाइल एवं ब्रोशर आदि सम्मिलित हों।
- यह सुनिश्चित करना कि उपर्युक्त समस्त सामग्री 'इन्वेस्ट बिहार' की वेबसाइट पर उपलब्ध हो तथा पूर्व-निर्धारित अंतराल पर नियमित रूप से अद्यतन की जाती रहे।
- डिजिटल माध्यमों के अनुरूप सामग्री का निर्माण एवं तैयार करना
- प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया एवं जनसंपर्क (PR) भागीदार को प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध कराना
- आयोजन-विशेष (Event-specific) सामग्री का निर्माण एवं संकलन
- आयोजनों के अवसर पर माननीय मंत्रियों, अधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों (VIPs) हेतु भाषणों के प्रारूप (Draft Speeches) तैयार करना
- आयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करने हेतु समग्र बौद्धिक एवं विषयवस्तु संबंधी योगदान प्रदान करना

II. <u>निवेश संवर्धन रणनीति, निगरानी एवं आफ्टर-केयर, अनुसंधान एवं आउटरीच कार्यक्रम</u>

- भारत एवं विदेशों से संभावित निवेशकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना तथा उनसे संपर्क स्थापित करने हेतु नियमित आउटरीच कार्यक्रम संचालित करना।
- बिहार राज्य के लिए निवेश संवर्धन की समग्र रणनीति/कार्यक्रम एवं चरणबद्ध कार्य-योजना (Action Plan) का अभिकल्पन, विकास एवं प्रस्तुतीकरण।

		• देश-आधारित डेस्कों, व्यापार संवर्धन एजेंसियों एवं संस्थानों का उपयोग करते हुए निवेशकों पर सीधे फोकस प्रदान करना तथा निवेश सुविधा की प्रक्रिया को सुगम बनाना। • राज्य सरकार को बहुपक्षीय मंचों (Multi-lateral Forums), व्यापार मेलों (Trade Fairs) एवं सम्मेलनों में भागीदारी हेतु सहयोग प्रदान करना तथा वैश्विक दूतावासों, वाणिज्य मंडलों (Chambers of Commerce) एवं व्यापार परिषदों (Business Councils) के साथ समन्वय स्थापित करना। • राज्य की औद्योगिक नीति रूपरेखा (Policy Framework) के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। • अन्य राज्यों एवं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन (Benchmarking) करना तथा आवश्यक नीतिगत सुझाव एवं इनपुट प्रदान करना। • उद्योग निदेशालय द्वारा भारत एवं विदेशों में आयोजित/भागीदारी किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों की योजना बनाना एवं समन्वय स्थापित करना। • कम से कम 3000 नवीन संभावित निवेशकों से संपर्क स्थापित करना (जिसमें प्रत्येक निवेश संवर्धन टीम सदस्य द्वारा लगभग 200–300 संभावित निवेशकों से संपर्क किया जाएगा)। • गंभीर एवं रुचि रखने वाले निवेशकों के साथ एक-से-एक (One-to-One) बैठकों हेतु उनके अनुरूप कस्टमाइज़्ड पिच डेक्स (Customized Pitch Decks) तैयार करना। • निवेश रुचियों का एक अद्यतन डेटाबेस बनाए रखना। • प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान एवं मूल्यांकन करना तथा उनके समाधान हेतु निवेशकों एवं संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ एक-से-एक बैठकें आयोजित करना। • राज्य सरकार के साथ औपचारिक साझेदारी स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों हेतु समझौता ज्ञापन (MoU), अथवा निवेश अभिप्राय दस्तावेज़ (Investment Intention Document) का मसौदा तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
	BIADA आईoपीo टीम (मीडिया टीम सहित)	• औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे अवसंरचना विकास कार्यों जैसे सड़क, बिजली, जल, जल-निकासी आदि की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना • BIADA से संबंधित निवेशक मार्गदर्शिका, परियोजना प्रोफाइल, औद्योगिक गलियारों एवं प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों से संबंधित प्रोफाइल व ब्रोशर आदि उपलब्ध कराना। • BIADA द्वारा संचालित चालू एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

		• विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि भंडार की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराना • आवंटन, रिक्त भूखंड, चिन्हित भूमि आदि का संपूर्ण विवरण साझा करना • प्रत्येक PCC बैठक की कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से तैयार कर प्रस्तुत करना • पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना • BIADA आई०पी० टीम द्वारा संचालित सभी निवेश संवर्धन गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देना • निवेश संवर्धन एवं परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित करना • निवेश, भूमि, आवंटन, परियोजनाओं से संबंधित सभी आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करना एवं साझा करना • संबंधित विभागों से अपेक्षित सहयोग/अनुमोदन/सुविधा की स्पष्ट जानकारी देना।
	SIPB टीम	• प्रत्येक SIPB सचिवालय एवं बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करना • विभिन्न नीतियों के अंतर्गत प्राप्त नए निवेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन एवं प्रगति रिपोर्टों की संरचित प्रस्तुति देना • पिछली बैठकों में आई०पी० टीम द्वारा उठाए गए निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयासों की यथास्थिति प्रस्तुत करना • यदि SIPB को किसी विशिष्ट निवेशक से कोई समस्या आ रही हो तो उसे भी चिन्हित कर प्रस्तुत करना।
	BIADA मीडिया टीम तथा सहायक निदेशक-सूचना एवं जन-संपर्क विभाग (IPRD)	• विभिन्न विपणन सामग्री एवं कोलेट्रल का डिज़ाइन एवं विकास करना, जिसमें राज्य पिच प्रेजेंटेशन, सेक्टर प्रोफ़ाइल, क्षेत्रीय प्रोफाइल, बिहार प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोफाइल, निवेशक मार्गदर्शिका, परियोजना प्रोफाइल, औद्योगिक गलियारों की जानकारी, प्रमुख औद्योगिक क्लस्टरों की प्रोफाइल, ब्रोशर, फ्लायर्स एवं डिजिटल क्रिएटिव शामिल हों। • सभी सामग्री को व्यावसायिक, आकर्षक तथा निवेशक-अनुकूल बनाना। • बिहार की सफलता गाथाओं, उपलब्धियों एवं प्रमुख मील के पत्थरों की पहचान एवं दस्तावेज़ीकरण कर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी प्रचार करना। • प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग एवं निवेशक-संबंधी संचार का प्रसारण सुनिश्चित करना। • प्रमुख फोरम, समिट एवं आयोजनों में राज्य की दृश्यता बढ़ाना तथा वेबसाइट, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन अभियानों के माध्यम से बिहार निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को प्रचारित करना। • लक्षित डिजिटल अभियानों द्वारा निवेशकों तक पहुंच बनाना एवं नियमित रूप से पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स आदि कंटेंट का निर्माण एवं प्रसार करना।

		• निवेशक सम्मेलन, रोडशो, प्रदर्शनियों एवं अन्य आयोजनों का प्रचार-प्रसार करना तथा आयोजनों की मीडिया कवरेज एवं दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना। • किसी भी नकारात्मक खबर/स्थिति के दौरान संचार रणनीति तैयार कर समयबद्ध एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया के माध्यम से राज्य की छवि बनाए रखना।

सभी नामित पदाधिकारी/कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्य में आप सभी निरंतर एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे।

आई०पी० कोषांग के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव में सचिव ,उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

10/उ०नि/ आई०पी०कोषांग-12-01/26 ज्ञापांक- 1644 पटना, दिनांक- 22-05-26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव ,उद्योग विभाग के निजी सहायक , बिहार, पटना/ निदेशक, एम०एस०एम०ई० /निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय / अपर सचिव, उद्योग विभाग / सभी संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग / सभी उप सचिव, उद्योग विभाग / सभी सहायक उद्योग निदेशक/परियोजना प्रबंधक , उद्योग निदेशालय बिहार, पटना / आई०टी मेनेजर, ,उद्योग विभाग को सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को इमेल एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.05.26

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।